IBC सुधार: आय का वितिरण

प्रलिम्सि के लयि:

गैर-निष्पादति संपत्तियाँ (NPA), लिक्विडेशन वैल्यू, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रबियूनल (NCLAT), अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (UNCITRAL)।

मेन्स के लयि:

दिवाला और दिवालियापन संहति (IBC), IBC के तहत लेनदारों के बीच वितरित आय।

चर्चा में क्यों?

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने दिवाला और दिवालियापन संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code- IBC), **2016** में कई बदलावों का प्रस्ताव दिया है।

IBC में सुझाए गए बदलाव:

- मंत्रालय का मानना है कि **कुछ लेनदार इस बात से चितिति हैं कि जब किसी कंपनी के ऋणों का समाधान किया जाता है तो उन्हें धन का उचित हिस्सा नहीं प्राप्त होता** है।
    - इसे संबोधित करने हेतु यह **लेनदारों के बीच धन को वितरित करने के लयि एक निष्पक्ष प्रणाली बनाने का सुझाव** देता है।
- इसमें **प्रत्येक लेनदार के दावे के आधार पर धन के वितरण हेतु एक विशिष्ट सूत्र का उपयोग करना** शामिल है।
    - परिसमापन मूल्य से अधिक कोई भी अधिशेष सभी लेनदारों के बीच उनके असंतुष्ट दावे के अनुपात में समानुपातिक होगा।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016:

- **सरकार ने दिवाला और दिवालियापन से संबंधित सभी कानूनों को समेकित करने** और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (Non-Performing Assets- NPA), जो वर्षों से भारतीय अर्थव्यवस्था के लयि एक गंभीर समस्या रही है, से निपटने के लयि **IBC, 2016** को लागू किया।
- **दिवाला एक ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति या कंपनियाँ अपना बकाया कर्ज़ चुकाने में असमर्थ होती हैं।**
    - दूसरी ओर **दिवालियापन** एक ऐसी स्थिति है जिसमें सक्षम क्षेत्राधिकार की **न्यायालय किसी व्यक्ति या अन्य संस्था को दिवालिया घोषित करती है और मामले को निपटाने एवं लेनदारों** के अधिकारों की रक्षा करने हेतु उचित आदेश जारी करती है। यह एक कानूनी घोषणा है कि संबंधित व्यक्ति या संस्था ऋण चुकाने में असमर्थ है।
- IBC में सभी **व्यक्ति, कंपनियाँ, सीमित देयता भागीदारी (Limited Liability Partnerships- LLP) और साझेदारी फर्म** शामिल हैं।
    - न्यायिक प्राधिकरण:
        - कंपनियों और LLP हेतु **राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (National Company Law Tribunal- NCLT)।**
        - व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों हेतु **ऋण वसूली न्यायाधिकरण (Debt Recovery Tribunal- DRT)।**

IBC के तहत लेनदारों के बीच आय के वितरण की विधि:

- एक कंपनी के विभिन्न लेनदार होते हैं जैसे- **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी ऋणदाता, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ, व्यापारिक लेनदार, विक्रेता, काम करने वाले, कर्मचारी, सरकारें आदि।**

- यह सहिता इन लेनदारों को ऋण की प्रकृति के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में रखती है।
- **बैंक, बॉण्ड जारीकर्त्ता और उधारदाताओं को वित्तीय लेनदारों** के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उधारकर्त्ता कंपनी द्वारा प्रस्तुत सुरक्षा के आधार पर वित्तीय लेनदारों को आगे **सुरक्षित एवं असुरक्षित लेनदारों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।**
- इस संहिता की **धारा 53** प्राथमिकता के क्रम को निर्धारित करती है **जिसमें परिसमापन मूल्य के आधार पर लेनदारों को आय वितरित की जाएगी।**
- इस वॉटरफॉल तंत्र के अनुसार, सुरक्षित वित्तीय लेनदार प्राथमिकता के क्रम में सर्वोच्च स्थान पर हैं। उनके बाद **असुरक्षित वित्तीय लेनदार, सरकारी बकाया और अंत में परिचालन लेनदार का स्थान है।**

    - इस प्रकार जब तक सभी दावों का पूर्ण भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक बैंक जैसे वित्तीय लेनदार प्राथमिक होते हैं **वॉटरफॉल तंत्र में वित्तीय लेनदारों के स्तर पर धन समाप्त हो सकता है,** इससे अन्य लेनदारों के लिये लगभग कुछ भी नहीं बचता है।

आय वितरण के विषय में न्यायशास्त्र:

- सर्वोच्च न्यायालय ने एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड मामले में **लेनदारों को भुगतान करने के तरीके से संबंधित एक मामले** पर फैसला सुनाया।

    - राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (National Company Law Appellate Tribunal- NCLAT) ने स्पष्ट किया था कि सभी लेनदारों को समान भुगतान किया जाना चाहिये, भले ही उनके पास प्रतिभूति हो अथवा न हो।
    - हालाँकि **सर्वोच्च न्यायालय ने NCLAT से असहमति जताते हुए कहा कि सुरक्षित लेनदारों को पहले भुगतान किया जाना चाहिये** क्योंकि उनके प्रतिभूति ब्याज को संरक्षित करने की आवश्यकता है।
- **संहिता की धारा 30(4) के अनुसार, समाधान योजना को अधिकृत करते समय** लेनदारों की समिति द्वारा प्रतिभूति ब्याज के मूल्य को ध्यान में रखा जा सकता है।
- **दिवाला कानून** पर **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (United Nations Commission on International Trade Law- UNCITRAL)** के विधायी गाइड का कहना है कि **सुरक्षित लेनदार अपनी सुरक्षा के मूल्य के आधार पर** भुगतान प्राप्त कर सकते हैं, जबकि असुरक्षित और कनिष्ठ (Junior) लेनदारों को कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा हाल ही में समाचारों में आए 'दबावयुक्त परिसंपत्तियों के धारणीय संरचन पद्धति (स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स/S4A)' का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है?

(a) यह सरकार द्वारा निर्यात विकासपरक योजनाओं की पारिस्थितिकीय कीमतों पर विचार करने की पद्धति है ।
(b) यह वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रही बड़ी कॉर्पोरेट इकाइयों की वित्तीय संरचना के पुनर्संरचन के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक की स्कीम है ।
(c) यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बारे में सरकार की विनिवेश योजना है।
(d) यह सरकार द्वारा हाल ही में क्रियान्वित 'इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड' का एक महत्त्वपूर्ण उपबंध है।

उत्तर: (b)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/ibc-reform-distribution-of-proceeds